| तारीख हुक्म | प्रार्थना पत्र 05/2021 (2021/9)<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मोहम्मद रवीजर खान v/s नाथू गीत |
|---|---|
| 09/1/2023 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व में विपक्षी संख्या 2/2, 2/3 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तहसील चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट जो संलग्न पत्रावली है, रेकार्ड पर लिए जाते हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण के लिखित बहस प्रस्तुत की जो संलग्न पत्रावली की गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) RTA इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सूरजपोल प.ह. रामपुरा स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 664/1, 665/1, 666, 667 कीता 4 कुल रकबा 1.0000 हे. भूमि पर आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की सूरजपोल स्थित आराजी नम्बर 689 के उत्तरी कोने पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी आ.नं. 666 में पहुंचता है, तदन्तर अपनी अन्य खातेदारी की आराजीयात में पहुंच सकता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंचने का नहीं है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में आने जाने एवं ट्रैक्टर बैलगाड़ी आदि माध्यम से फसल आदि लाने ले जाने के लिए विपक्षीगण की ग्राम सूरजपोल स्थित आराजी संख्या 689 रकबा 0.7700 हे. में 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस हेतु न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि प्रार्थी विपक्षीगण को अदा करने को तैयार है।<br>....लगातार<br>(हस्ताक्षर)<br>(रामचन्द्र खटीक)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ |

Scanned with AnyScanner

नि८

प्र.क्र. 05/2022 (2022/9)

| नम्बर व तारीख अहकाम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विपक्षीगण ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/राज का/2022/881 दिनांक 31.10.2022 से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुरजपोल की आराजी नम्बर 666, 667, 1653/664, 1654/665 कीता 4 रकबा 1.0000हे. पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। जिससे विकल्पतः आराजी नम्बर 666 रकबा 0.77 हे. जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है में से 548 वर्गमीटर (137 x 4 मीटर) रास्ता प्रस्तावित किया गया जो लाल स्याही से नक्शे मे दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर अनुसार 548 x 108.76 रुपए प्रति वर्गमीटर का दुगुना करने पर राशि 1,19,211.00 रुपए बनती है। इसमे किसी प्रकार से कृषि भूमि अतिरिक्त शेष नही है तथा प्रार्थी व विपक्षीगण के मौके पर काफी प्रयास के बाद भी कोई सहमति नही बनी।<br><br>तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल प.ह. एराल तहसील चित्तौड़गढ़ (स्थित आराजी नम्बर 1653/664, 1654/665, 666, 667 कीता 4 रकबा 1.0000 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता<br><br>.... लगातार<br><br>ह०<br>(रामचन्द्र खटीक)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ | |

| तारीख हुक्म | प्रा.पत्र 05/2021 (2021/9)<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | कायम करने हेतु ग्राम छुरजपोलकी निकटतम निष्पादन की खातेदारी आराजी संख्या 689 रकबा 0.77 हे. में से 548 वर्गमीटर की कीमत 108.75 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दो गुना कुल राशि 1,19,201=00 रुपए का भुगतान आराजी संख्या 689 के खातेदारान को किए जाने पर आराजी संख्या 689 रकबा 0.77 हे. में 548 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि 1,19,201=00 रुपए का आराजी संख्या 689 के खातेदारान को करने हेतु उनके नाम के हिस्सेवार राशि के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें।<br><br>ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, की छाया प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न करते हुए लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे।<br><br>निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>Sd/-<br>(रा[illegible] खटीक)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ |

Scanned with AnyScanner

| नम्बर व तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जज |
|---|---|---|
| ...01/23 | पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगाहे से तलब करने पर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 09/01/23 को पारित आदेशानुसार विपक्षीगण का भुगतान हेतु ड्राफ्ट प्रस्तुत किए है। अतः प्रस्तुत ड्राफ्ट सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मय निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति के प्रेषित किए जाकर लिखा जावे की सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात् प्रस्तावित रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। पत्रावली पुनः फैसल नम्बर पर रखी जावे। | |

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner